10162 8878

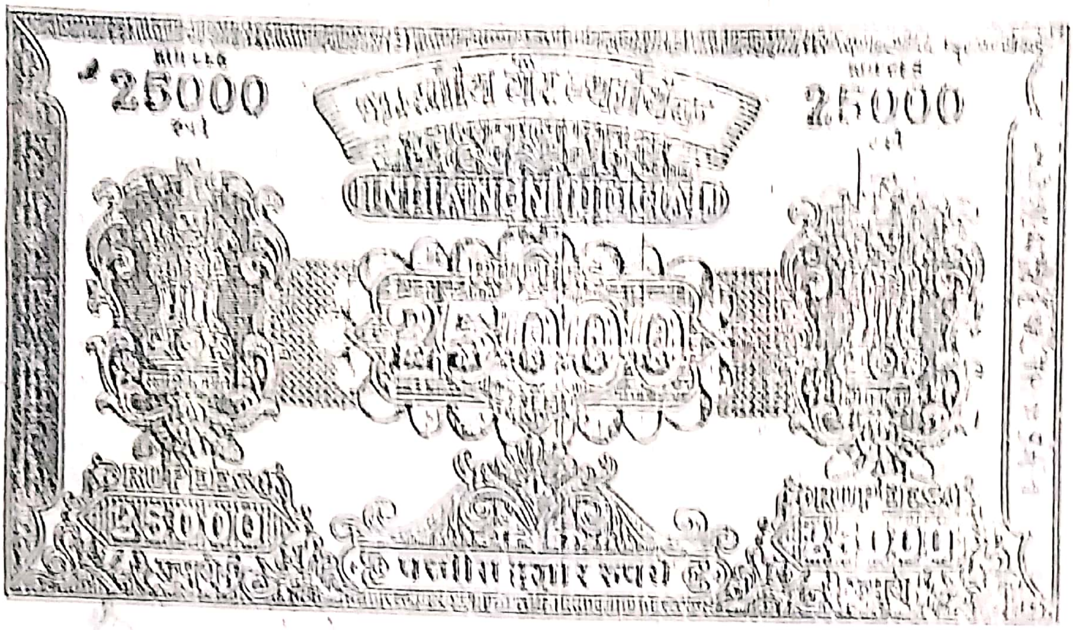

0200 428026

नि.प: राँची, झारखण्ड

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 13, माह दिसम्बर सन् 2003 ईस्वी को इस प्रकार सम्पन्न होता है।

1. <u>विक्रेता का नाम और पूरा पता</u> : श्री बलदेव साहु पिता स्वर्गीय लोकनाथ साहु, जाति बियाहुत कलवार, पेशा कृषि, निवास स्थान ग्राम हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला राँची (झारखण्ड) भारतीय नागरिक........प्रथम पक्ष।

2. <u>क्रेता का नाम और पूरा पता(खरीददार)</u> : श्रीमति पूर्णिमा देवी पत्नी श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, जाति हिन्दू, पेशा गृहिणी, निवास स्थान ग्राम + पोस्ट हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला राँची (झारखण्ड) भारतीय नागरिक.........अन्य पक्ष।

Income tax form 37 G F[illegible]d on dated...

25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0201 428027

" विक्रेता और खरीद्दार " सन्दोभनो में जब तक विषय के प्रतिकूल अथवा संदर्भ में अपेक्षित न हो उनके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, प्रतिनिधि, तथा अभिहस्तांकिती, भी सम्मिलित माने जायेंगे ।

3:- लेख्य प्रकार :- पूर्ण विक्रय - पत्र, हमेशा के लिए ।

4:- प्रतिफल राशि :- 3,94,000/- तीन लाख चौरानबे हजार रुपये मात्र ।

5:- सम्पत्ति का विवरण :- एराजी रकबा 10 (दस) डिसमील जमीन स्वत्व कायमी रैयती, अपना हक और हिस्सा, दखली, स्थित ग्राम हतिया, राजस्व थाना रॉची, थाना न0 248, वर्त्तमान थाना जगरनाथपुर, जिला रॉची, अन्दर अधिकारिता कलक्टर रॉची, तथा जिला अवर निबंधक रॉची के है ।

यथा विवरण निम्नोक्त :-

खाता न0 -	सर्वे प्लाट न0 -	मध्ये -	राब प्लाट न0 -	रकबा
61 -	1037	- मध्ये -	1037/41 एवं 42	= 10 डिसमील

खाता नम्बर एकसठ, सर्वे प्लाट नम्बर एक हजार सैतीस, राब प्लॉट नम्बर 1037/ 41 एवं 42, रकबा दस डिसमील जमीन बिकी होता है ।

जमीन की लम्बाई- चौडाई इस प्रकार है :-

उत्तर तरफ :- पुरब से पश्चिम 50 फीट 0 इंच ।
दक्षिण तरफ :- पुरब से पश्चिम 50 फीट 0 इंच ।
पुरब तरफ :- उत्तर से दक्षिण 87 फीट 02 इंच ।
पश्चिम तरफ :- उत्तर से दक्षिण 87 फीट 02 इंच ।

जो संलग्न मानचित्र में बिकी जमीन (राब प्लॉट नम्बर 1037/ 41 एवं 42) को स्पष्ट रुप से लाल रंग से रंग कर दिखाया गया है, जो इस विक्रय पत्र का अभिन्न अंग है.।

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

03AA 381858

<u>चौहददी:-</u>

<u>उत्तर</u>	:- तेइस (23) फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।
<u>दक्षिण</u>	:- सब प्लॉट नम्बर 1037/43 ।
पश्चिम	:- सोलह (16) फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।
पूरब	:- सब प्लॉट नम्बर 1037/56 एवं 57

जिसका वार्षिक लगान 0-50 पैसे अलावे शेष, जो झारखण्ड सरकार के अंचल कार्यालय, खिजरी (नामकुम) को देय ।

प्रमाणित किया जाता हैं कि शहरी - भू - हदबन्दी अधिनियम 1976 की धारा 26 के अनुरूप उक्त सम्पत्ति के अन्तरण हेतू विक्रेता ने सक्षम पदाधिकारी, राँची के समक्ष आवेदन किया, जिसका केश नम्बर 2388/2002, दिनांक 07.09.2002 ईश्वी हैं, जो साठ दिनों की अवधि समाप्त होने पर न तो कोई सूचना मिली और न ही आवेदन खारिज हुआ ।

अतः नियमतः मान्य है कि अन्तरण हेतू सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

<u>संदर्भ:-</u>

यह कि खाता नम्बर 61, सर्वे प्लाट नम्बर 1037, की कुल रकवा 05 एकड़ 97 डिसमील जमीन स्थित ग्राम हटिया, थाना नम्बर 248, थाना वो जिला राँची, के रिभिजनल सर्वे खतियान सन् 1932 - 33 ईश्वी में जीतू कुर्मी पिता कोल्हा कुर्मी के नाम से कायमी दर्ज है ।

और यह कि खतियानी रैयत जीतु कुर्मी अपने पीछे दो पुत्र 1. ठाकुर राम एवं 2. बासुदेव कुर्मी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये ।

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

और यह कि दिनांक 03.02.41 ईस्वी को उपरोक्त खाता नम्बर 61 प्लॉट नम्बर 1025 मध्ये रकबा 0.51 डिसमील एवं प्लॉट नम्बर 1027 रकबा 1 एकड़ 06 डिसमील एवं प्लॉट नम्बर 1032 रकबा 0.67 डिसमील एवं प्लॉट नम्बर 1034 रकबा 0.35 डिसमील एवं प्लॉट नम्बर 1036 रकबा 0.25 डिसमील एवं प्लॉट नम्बर 1037 रकबा 5 एकड़ 97 डिसमील कुल रकबा 8 एकड़ 81 डिसमील जमीन को विक्रेता के स्वर्गीय पिता लोकनाथ साहु ने ठाकुर राम पिता स्वर्गीय जीतु राम निवास स्थान ग्राम हटिया थाना जगरनाथपुर जिला रांची से एक निबंधित विक्रय-पत्र से खरीदकर प्राप्त किये थे, जिसका निबंधन कार्यालय रांची के पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 7, पृष्ठ संख्या 310 से 312, दस्तावेज संख्या 623, वर्ष 1941 ईस्वी के अन्तर्गत हुआ तथा तारीख खरीदगी से ही जमीन पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज और दखलकार रहे ।

और यह कि लोकनाथ साहु अपने पीछे चार पुत्र 1. श्री रामेश्वर साहु 2. श्री गोवर्धन साहु 3. श्री कृष्ण कान्त प्रसाद एवं 4. श्री बलदेव साहु को छोड़कर स्वर्गवास कर गये तथा अपने जीवन काल में ही 1975 ईस्वी को चारो भाईयो को बराबर- बराबर हिस्सा में बँटवारा करके स्वर्गवास कर गये, तथा पिता के मृत्यु के बाद उक्त जमीन का मालिक और उत्तराधिकारी उनके चारो पुत्र हुए तथा बिक्री वाली भूमि विक्रेता को हिस्से की जमीन है जिस पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज और दखलकार चले आ रहे है ।

इस तरह उपरोक्त जमीन पर विक्रेता का पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण में है तथा हस्तांतरणीय योग्य है ।

और यह कि विक्रेता को अपना पारिवारिक आवश्यकताओं एवं अन्य जरूरी कार्यो के लिए अनुसूची 5 में वर्णित भूमि जिसे बिक्री करने का अनिवार्यता है, जिसका उचित मूल्य 3,94,000/ तीन लाख चौरानबे हजार रुपये मात्र खरीददार से तय कर और लेकर 10 (दस) डिसमील जमीन बिक्री करने के लिए तैयार हुए एवं खरीददार भी उचित मूल्य 3,94,000/ तीन लाख चौरानबे हजार रुपये मात्र में उक्त जमीन को खरीदने के लिए तैयार हुए ।

12/9/02

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

अतः अपना तन मन की स्वस्था में रह कर अपनी स्वेच्छा से बिना किसी अन्य के दबाव, बहकाव, धमकाव या प्रलोभन के 3,94,000/ तीन लाख चौरान्नबे हजार रूपये मात्र प्रतिफल के बदले सब प्रकार के ऋण-भार और बंधनो से मुक्त खरीद्दार के हाथ बेचा, हस्तान्तरित किया एंव सुपुर्द किया तथा प्रतिफल राशि 3,94,000/ तीन लाख चौरान्नबे हजार रूपये मात्र विक्रेता ने खरीद्दार से रजिस्ट्री के समय वसूल पाये, जिसकी प्राप्ति इस विक्रय -पत्र द्वारा स्वीकार एंव अंगीकार की जाती है अब और कुछ भी पाना शेष नहीं रहा ।

इस तरह अब आज तारीख से बिकी जमीन पर विक्रेता या इनके उत्तराधिकारी या सगे सम्बन्धी का किसी तरह का हक दावा स्वत्व नही रहा और न भविष्य में कभी होगा । अब आज तारीख से ही उक्त जमीन का मालिक और अधिकारी खरीद्दार या इनके उत्तराधिकारी है और भविष्य में भी होगें। खरीद्दार अपनी इच्छानुसार मालिक और अधिकारी के रूप में भोग, उपभोग, करें या जरूरत पड़े तो बिकी, बंधक दान या जिस तरह का हस्तान्तरण करना चाहें करें । इसमें विक्रेता या इनके उत्तराधिकारी को कभी कोई आपत्ति नही होगी ।

20 Rs.

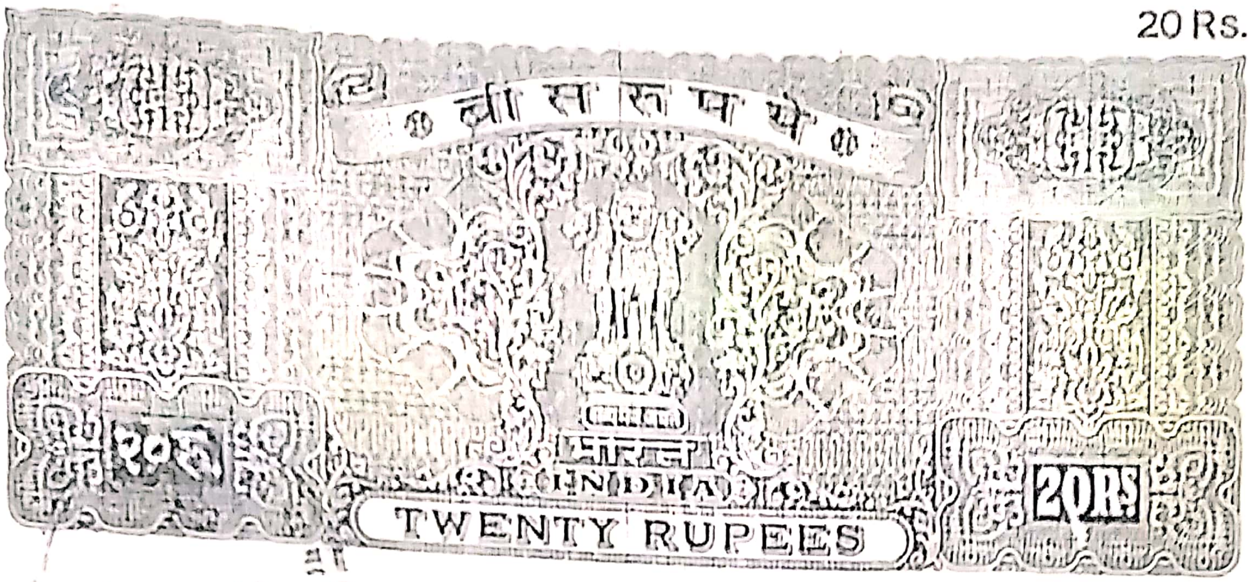

विकेता यह भी घोषित करते है कि बिकी सम्पत्ति सब तरह से शुद्ध -स्वच्छ और निर्मल है तथा हर प्रकार के ऋण- भार और बंधनों से मुक्त है और अगर इसमें किसी तरह का कोई नुक्स निकले या ठहरे तो उसका पूर्ण का जवाब देह तथा हर्जाना सहित कुल रूपये का देनदार विकेता या इनके उत्तराधिकारी है, और होंगे तथा देंगे ।

इस तरह अब खरीददार को पूर्ण अधिकार है कि अंचल कार्यालय खिजरी (नामकुम) में अपना नाम दाखिल- खारिज करा लेगें तथा प्रतिवर्ष लगान देकर रसीद प्राप्त करेंगे ।

20 Rs.

विक्रेता पूर्ण विक्रय - पत्र को पढ़कर समझ बुझ लिए है तथा ठीक पाकर अपना हस्ताक्षर करके जिला निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित कर देते है कि समय पर काम आवे ।

Scanned with OKEN Scanner

20 Rs.

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज एवं द्वितीय प्रति एक दूसरे का हु-ब-हु सच्ची प्रतिलिपि है ।
आज दिनांक 12, माह सितम्बर सन् 2003 ईश्वी, स्थान राँची ।

गवाहों का हस्ताक्षर	विक्रेता का हस्ताक्षर
1:- गोवर्धन साहु 12/9/03	बलदेव साहु 12/9/03
2. [illegible] 12/9/03	
3. [illegible] 12/9/03	ड्राफ्टकर्ता:- नमन कुमार सिन्हा राँची कोर्ट राँची 12/9/03

20 Rs.

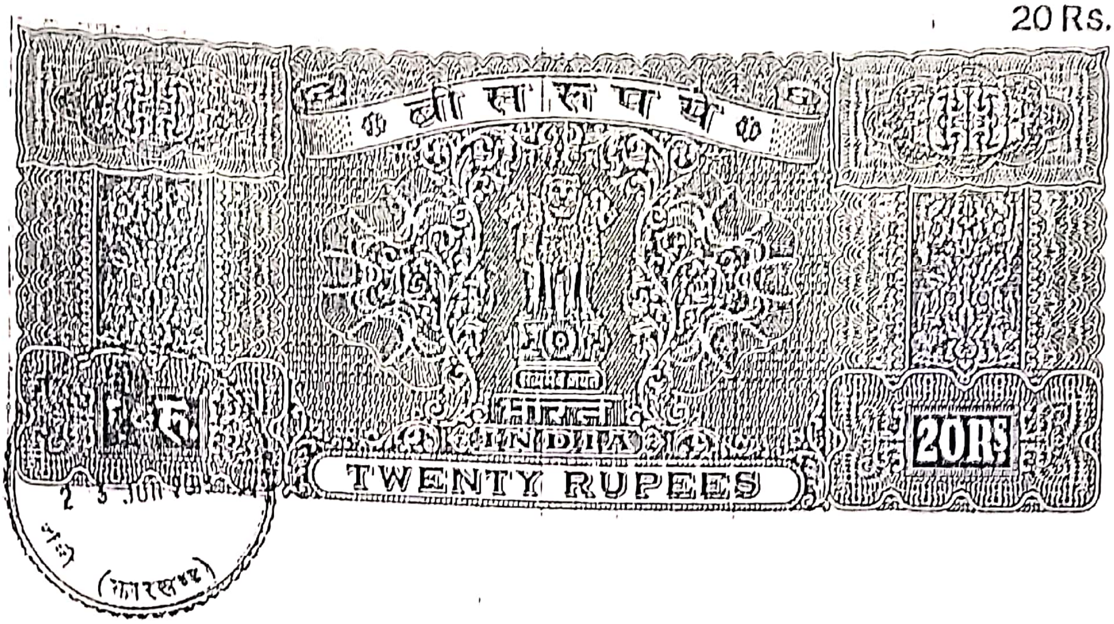

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपयुर्वत विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नही है न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यो के लिए किया गया है न ही भूदान की जमीन है । वन सीमा से बाहर है तथा बी. सी. सी. एल.या ई. सी. एल. की भी जमीन नही है और न ही आदिवासी से सम्बन्धित है । जमीन सिलिंग से मुक्त है, जमीन पर मठ, मंदिर, मस्जिद या गिरजा की नही है तथा सरना, मसना, हडगडी, पहनई की जमीन नही है जिसका शपथ पत्र संख्या 1095 दिनांक 12/4/03 है ।

12/9/03

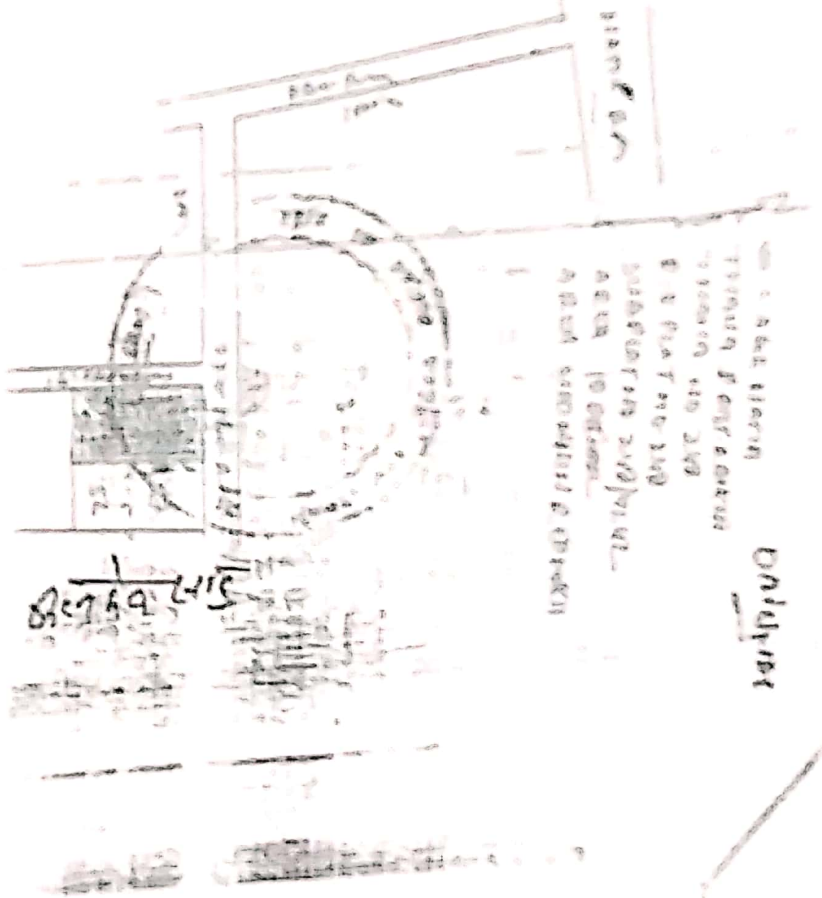

Scanned with OKEN Scanner

Spl. NS — Form No. V 40

CORRECTION SLIP SHOWING MUTATION IN RESPECT OF TEANCI ESESTATES IN GOVERNMENT

District... राँची ...Sub-division ... ...Circle/Anchal ... नामकुम ... Halka IV

Name of State झारखण्ड   Touzi Number

Sl. No.	Mutation cash number in Register 27	Village	Thana and Thana Number	Number of tenancy to which the mutation relats	Authority sanctioning mutation with date of order	Whether mutation is due to sale gift, exchange succession or partion	Full details of [illegible] affected by mutation	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	993 / 827 / 2003-04	हटिया	राँची 248	पृष्ठ संख्या 4 भाग-IV	अंचल अधिकारी नामकुम 24-1-04	बिक्री निबंधन पट्टा सं० 8878 12-9-03	श्रीमती पूर्णिमा देवी पति प्रदीप कुमार प्रसाद मोकाम- हटिया, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- राँची के नाम से नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है — लगान 1.00 रुपया इजाफे हेतु	

जमीन का विवरण

ग्राम	खाता नं०	प्लाट नं०	रकबा
हटिया	61	1037	10 डि०

कुल रकबा दस डिसमिल मात्र।

अंचल अधिकारी, नामकुम (राँची)

Memo No.   Date   Circle Officer / Anchal